

## मनोरंजन उद्योग में बाल भागीदारी का वनियमन

### प्रलिस के लयः

मनोरंजन उद्योग में बाल संरक्षण को वनियमन करने हेतु दशा-नरदेश,, बाल और कशोर श्रम अधनियम, 1986, योन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधनियम, 2012 और कशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधनियम, 2015 ।

### मेन्स के लयः

बच्चों से संबधत मुददे ।

### चर्चा में क्यों?

[राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग \(NCPCR\)](#) ने मनोरंजन उद्योग में बाल संरक्षण को वनियमन करने के लयः दशा-नरदेशों का मसौदा तैयार कयः है ।

- आयोग दवारा वर्ष 2011 में "मनोरंजन उद्योग में बाल भागीदारी को वनियमन करने के लयः दशा-नरदेश" जारी कयः गए थे **नया मसौदा पहली बार सोशल मीडयः और ओवर द टॉप (OTT) प्लेटफारमों को कवर करने वाले दशा-नरदेशों के दायरे को बढ़ाता है ।**

### नए दशा-नरदेशों की मुख्य वशेषताएँ:

#### ज़लः मजस्ररेट की अनुमतः

- कसः भी ऑडयो-वीडयो मीडयः प्रोडक्शन या कसः भी बच्चे की भागीदारी वाले कसः भी वःवसायकः कार्यक्रम के कसः भी नरमाता को अब उस ज़लः मजस्ररेट की अनुमतः प्राप्त करने की आवशःकता होगी जहाँ गतवधः का प्रदर्शन कयः जाना है ।
- नरमाताओं को डसःकलेमर भी चलाना होगा जसमें यह बताया जाएगा कः शूटगः की पूरी प्रकःरयः के दौरान बच्चों के साथ दुर्ववहार, उपेक्षा या शोषण न हो, यह सुनशःचतः करने हेतु उपाय कयः गए थे ।

#### कठोर दंड प्रावधानः

- आयोग ने कारावास सहतः दशा-नरदेशों का उल्लंघन करने के लयः कड़े दंड प्रावधानों को भी शामिल कयः है, और यह अनवःरयः कयः है कः मनोरंजन में इस्तेमाल होने वाले बाल कलाकारों और बच्चों को ज़लः मजस्ररेटों के साथ पंजीकृत करने की आवशःकता है ।
- वभःनः अधनियमों के प्रावधानः**
  - पैसे कमाने के लयः बच्चों का इस्तेमाल करने वाले माता-पतः को जवाबदेह ठहराया जाना चाहयः । बच्चों की सुरक्षा के लयः अलग-अलग अधनियम हैं, इन अधनियमों के प्रावधानों को अब दशानरदेशों में शामिल कयः गया है ।
  - कशोर न्याय अधनियम, 2015, बाल श्रम संशोधन अधनियम, 2016, योन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधनियम, 2012, [सूचना प्रौद्योगकः \(मधःवर्ती दशानरदेश और डजःटःल मीडयः आचार संहतः\) नयःम, 2021](#) , आदः के प्रावधानों को दशा-नरदेशों में शामिल कयः गया है । .
  - [बाल और कशोर श्रम अधनियम, 1986](#), [योन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधनियम, 2012](#) और [कशोर न्याय \(बच्चों की देखभाल और संरक्षण\) अधनियम, 2015](#) सहतः वभःनः अधनियमों के तहत अपराधों के लयः वभःनः दंड नरधरतः कयः गए हैं ।
- वसःतारः**
  - नए दशा-नरदेशों के दायरे में टीवी कार्यक्रमों को शामिल कयः जाएगा, जसमें रयःलःटी शो, धारावाहकः, समाचार और सूचनात्मक मीडयः, फलःमें, OTT प्लेटफारमों पर सामगःरी, सोशल मीडयः पर सामगःरी, प्रदर्शन कला, वजःापन और वाणजःयकः मनोरंजन गतवधःयः में बच्चों की कसः भी अन्य प्रकार की भागीदारी शामिल है ।
- नषःदःध भूमकःएँ:**
  - दशा-नरदेश बच्चों को अनुपयुक्त भूमकःओं या सथतःयः में डाले जाने पर रोक लगाते हैं ।

- बच्चे की उम्र, परपिक्वता, भावनात्मक या मनोवैज्ञानिक विकास और संवेदनशीलता को ध्यान में रखना होगा। एक बच्चे को उपहास, अपमान या हतोत्साह, कठोर टिप्पणियों या कसि भी ऐसे व्यवहार में शामिल नहीं किया जा सकता है जो उसके भावनात्मक दृष्टिकोण को प्रभावित कर सकता है।
- बच्चों को शराब पीते, धूम्रपान या कसि अन्य पदार्थ का उपयोग करते हुए या कसि भी प्रकार की असामाजिक गतिविधियों और अपराधी व्यवहार में लपित होते हुए नहीं दिखाया जा सकता है।
- कसि भी बच्चे को नग्नता से संबंधित कसि भी प्रकार की गतिविधियों में शामिल नहीं किया जा सकता है।
- **अभभावक की उपस्थिति:**
  - शूट के दौरान कम-से-कम एक माता या पिता या कानूनी अभिभावक या कसि ज्ञात व्यक्ति को उपस्थित होना होगा और शिशुओं के लिये माता-पिता या कानूनी अभिभावक के साथ एक पंजीकृत नर्स की उपस्थिति आवश्यक है।
- **हानिकारक प्रकाश, दूषित प्रसाधन सामग्री का नषिध:**
  - नाबालगि, वषिष रूप से छह वर्ष से कम उम्र के बच्चों को हानिकारक प्रकाश व्यवस्था, या दूषित सौंदर्य प्रसाधनों के संपर्क में नहीं लाया जाएगा।
- **चकित्सा स्वास्थ्य प्रमाणपत्र:**
  - प्रोडक्शन में शामिल प्रत्येक व्यक्ति जो बच्चों के संपर्क में हो सकता है, को यह सुनिश्चित करने के लिये एक चकित्सा फिटनेस प्रमाण पत्र जमा करना होगा कि उन्हें कसि भी प्रकार का संक्रमण नहीं है और कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन भी किया जाना होगा।
- **बच्चे की शकिसा को सुनिश्चित करना:**
  - निर्माता को **शकिसा का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2009** के तहत बच्चे की शकिसा सुनिश्चित करने की भी आवश्यकता है ताकि उत्पादन और चकित्सा सुविधाओं के साथ-साथ स्कूल या सीखने की अवधि के दौरान पर्याप्त पौष्टिक भोजन तथा बच्चों के लिये पीने के पानी की उपलब्धता में कोई रुकावट न हो।
- **प्रतिदिन एक शफिट:**
  - एक बच्चा प्रतिदिन केवल एक शफिट में तीन घंटे के बरेके के साथ कार्य करेगा।
- **सावधि जमा/फक्सि डपोजिट में बच्चे की आय को जमा करना:**
  - बच्चे द्वारा उत्पादन या आयोजन से अर्जति आय का कम-से-कम 20% बच्चे के नाम पर एक **राष्ट्रीयकृत बैंक** में सावधि जमा खाते में सीधे जमा किया जाएगा जो कवियस्क होने पर बच्चे द्वारा क्रेडिट किया जा सकता है।
- **बच्चे या उसके परिवार/अभभावक द्वारा बनाई गई सामग्री:**
  - बाल शर्म और कशोर शर्म अधिनियम, 1986 की धारा 3 (2) (a) के तहत बच्चे या उसके परिवार/अभभावक द्वारा निर्मित वषिय वस्तु/कटेंट को पारिवारिक उद्यम में कार्य करने वाले बच्चों के रूप में माना जाएगा।

## बच्चों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान:

- संवधान प्रत्येक बच्चे को सममान के साथ जीने के अधिकार की गारंटी देता है-**व्यक्तगत स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 21) नजिता का अधिकार (अनुच्छेद 21) समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14) और/या भेदभाव के खिलाफ अधिकार (अनुच्छेद 15) शोषण के खिलाफ अधिकार (अनुच्छेद 23 और 24)।**
  - 6-14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिये निःशुलक और अनविर्य परारंभिक शकिसा का अधिकार (अनुच्छेद 21 A)।
- **राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत**, वषिष रूप से अनुच्छेद 39(f) यह सुनिश्चित करने के लिये राज्य पर एक दायित्व डालता है कि बच्चों को स्वस्थ तरीके से और स्वतंत्रता तथा सममान की स्थिति में विकसित होने के अवसर एवं सुविधाएँ दी जाएँ तथा बचपन और युवाओं को शोषण, नैतिक और भौतिक परतियाग के खिलाफ संरक्षित किया जाए।

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, पछिले वर्ष के प्रश्न

भारत के संवधान में शोषण के खिलाफ अधिकार द्वारा नमिनलखित में से कसिकी परकिल्पना की गई है? (2017)

1. मानव यातायात और जबरन शर्म का नषिध
2. अस्पृश्यता का उनमूलन
3. अल्पसंख्यकों के हतियों की रक्षा
4. कारखानों और खदानों में बच्चों के रोजगार पर रोक

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1, 2 और 4
- (b) केवल 2, 3 और 4
- (c) केवल 1 और 4
- (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (c)

- संवधान के भाग-III (मौलिक अधिकार) के तहत अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के खिलाफ अधिकार से संबंधित हैं।
- अनुच्छेद 23 में मानव के अवैध व्यापार और बलात् शर्म पर रोक लगाने का प्रावधान है। इसमें कहा गया है कि मानव तस्करी और भखिारी और

इसी तरह के अन्य प्रकार के जबरन श्रम नषिद्ध हैं और इस प्रावधान का कोई भी उल्लंघन कानून के अनुसार दंडनीय अपराध होगा। **अतः 1 सही है।**

- अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि में बच्चों के नयोजन पर रोक लगाने का प्रावधान है। इसमें कहा गया है कि चौदह वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान में काम करने के लिये या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जाएगा। **अतः कथन 4 सही है।**

अतः विकल्प (c) सही उत्तर है।

**स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस**

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/draft-guidelines-to-regulate-child-participation-in-the-entertainment-industry>

